अध्याय – X

जागरूकता, व्याख्या तथा सुविधाएँ

विरासत प्रबंधन का मूल उद्देश्य इसके महत्व तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता को मेजबान समुदाय तथा आगन्तुकों तक पहुँचाना था। विरासत और सांस्कृतिक विकास का उचित और अच्छी तरह से प्रबंधित भौतिक, बौद्धिक और भावनात्मक उपयोग, एक अधिकार और एक विशेषाधिकार दोनों होता है। यह अपने साथ विरासत मूल्यों, हितों और वर्तमान मेजबान समुदाय या ऐतिहासिक संपत्तियों के मालिकों के लिए तथा उन परिदृश्यों और संस्कृतियों, जिससे वह विरासत विकसित हुई है, के प्रति सम्मान का भाव लाता है।[62]

एक संरक्षित स्मारक या स्थल आम लोगों के लिए कोई अहम महत्व नहीं रखेगा यदि उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की व्याख्या और समझाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे। अतः केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों के संरक्षक के रूप में, भा.पु.स. के लिए दर्शकों को पर्याप्त व्याख्या, सार्वजनिक सुविधाएँ और जागरूकता प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है।

10.1 जागरूकता व्याख्या तथा सुविधाओं के लिए धन की व्यवस्था

जागरूकता, व्याख्या तथा सुविधाओं का निर्माण करने से संबंधित गतिविधियों के लिए भा.पु.स. का कोई विशेष बजटीय प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप इस खाते पर व्यय संरक्षण गतिविधियों के लिए आबंटित निधि से किया गया। भा.पु.स. ने स्मारकों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए व्यापक योजना तैयार नहीं की थी। परिणामस्वरूप, अधिकतर स्मारकों में इन सुविधाओं की कमी पाई गई जैसाकि **पैरा 10.5** में उल्लेखित है।

अनुशंसा 10.1: *भा.पु.स. को जागरूकता, व्याख्या तथा संबंधित गतिविधियों के लिए विशेष रूप से धन निर्धारित करना चाहिए।*

सभी संरक्षित स्मारकों के लिए समान रूप से लागू सुविधाओं और व्याख्या सेवाओं के लिए मापदंड निर्धारित होने चाहिए।

[62] विरासत महत्व के स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटन चार्टर के पर्यटन प्रबंधन को 1999 में अं.स्मा.स्थ.प. द्वारा अपनाया गया।

10.2 स्थलों की व्याख्या

विरासत संरक्षण को सरंक्षण, व्याख्या तथा पर्यटन विकास कार्यक्रम की आवश्यकता थी जो किसी विशेष जगह के विरासत महत्व के विशिष्ट लेकिन प्रायः जटिल या विरोधाभासी पहलुओं की एक व्यापक समझ पर आधारित हों।

स्थलों की व्याख्या के लिए भा.पु.स. के प्रयास अधिकतर संकेतक और सूचना पट्ट उपलब्ध कराने तक ही सीमित थे। भा.पु.स. ने अपने स्मारकों पर तीन तरह के संकेतक तथा सूचना पट्ट प्रदान किए :

i. **स्मारक का नाम**

ii. **संरक्षण सूचना पट्ट :** स्थल का संरक्षित स्मारक घोषित करते हुए तथा निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र संबंधित नियम हेतु और स्मारक में एवं इसके आसपास अनधिकृत गतिविधियों के संचालन करने पर जुर्माने से संबंधित,

iii. **सांस्कृतिक सूचना पट्ट:** हिंदी और अंग्रेजी में स्मारक के इतिहास का वर्णन करना। कुछ स्थानों में इन सांस्कृतिक सूचना पट्ट में स्थलों से जुड़ी लोक कथाओं एवं परंपराओं का भी उल्लेख किया गया।

यद्यपि केवल तीसरी तरह के संकेतक ने ही स्थलों की व्याख्या प्रदान की, प्रथम दो श्रेणियां भी आगंतुकों को स्थलों से परिचित कराने में उतनी ही महत्वपूर्ण थी। हमने इन तीनों तरह के संकेतकों में सुस्पष्ट कमियों को पाया।

अ) कई स्मारकों में स्मारक के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। दिल्ली परिमण्डल में कुछ उदाहरण निकोल्सन कब्रिस्तान, डी मेरो कब्रिस्तान, नाई-का-कोट, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में अज्ञात गुंबद, पालम में प्राचीन मस्जिद शामिल थे। स्मारक के नाम के अभाव में अधिकतर आगंतुकों द्वारा उसे पहचानने में मुश्किल होती है।

ब) इसी प्रकार, यह देखा गया कि कई जगहों पर संरक्षण साइन बोर्ड ठीक तरह से नहीं लिखे गए थे। कुछ जगहों पर ये उपलब्ध ही नहीं थे। इस प्रकार साइन बोर्ड के अभाव में अतिक्रमण और क्षति का खतरा बढ़ गया था, क्योंकि इनमें से अधिकतर संरक्षित स्थल सुरक्षित नहीं थे।

2461[63] स्मारकों की हमारी जाँच में 1198 स्मारकों के संरक्षित साइन बोर्ड ही ठीक पाए गए। जो कि **पैरा 10.1** में उल्लेखित है।

---

63 इसमें 12 परिमण्डलों के समस्त स्मारकों तथा शेष परिमण्डलों में भौतिक रूप से जाँच किए गए स्मारकों का वर्णन **अनुबंध-10.1** में वर्णित है।

सांस्कृतिक सूचना पट्ट पर हमारा अवलोकन **पैरा 10.3.1** में दिया गया है।

10.3 संकेतक स्थापित नहीं

हमने पाया कि ज्यादातर परिमण्डल उनके नियंत्रण/अधीन वाले स्मारकों पर साइन बोर्ड की खरीद पर व्यय कर रहे थे। फिर भी कई स्थानों पर इन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा था। कुछ निदर्शी उदाहरण नीचे दिए गए हैः

तालिका 10.1 संकेतक स्थापित नहीं

परिमण्डल का नाम	व्यय (₹ लाख में)	टिप्पणी
आगरा	8.11	कन्नौज में संकेतक चौकीदार के घर में पड़े पाए गए।
लखनऊ	12.68	मथुरा में संकेतक स्टोर रूम में पड़े पाए गए।
शिमला	19.67	संकेतक स्थापित नहीं किए गए थे तथा परिमण्डल कार्यालय में पड़े थे।
चेन्नई	73.12	411 संरक्षण सूचना पट्ट स्थापित नहीं किए गए थे तथा परिमण्डल कार्यालय में पड़े थे।

कनकली टीला, मथुरा तथा पुराना किला, कन्नौज में पड़े हुए सूचना पट्ट

स्मारकों की संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में यह भी पता चला कि दिल्ली परिमण्डल में, स्मारकों में संकेतक स्थापित करते समय, उचित ध्यान नहीं रखा गया। यह पाया गया कि 'छोटी गुमटी' का संकेतक एक अन्य स्मारक नामित 'संकरी गुमटी' में लगा दिया गया और 'संकरी गुमटी' का

संकेतक 'छोटी गुमटी' में लगा दिया गया था। हमारे समूह के द्वारा बताने के बावजूद भी इसे ठीक नहीं किया गया।

10.3.1 सांस्कृतिक नोटिस बोर्ड के माध्यम से स्मारक की व्याख्या

सांस्कृतिक नोटिस बोर्ड के माध्यम से स्मारकों की व्याख्या आगंतुकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अधिकतर स्थलों में, स्थल की जानकारी का कोई अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं था। स्मारकों के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से यह पता चला कि, हमारे द्वारा निरीक्षित 2461 स्मारकों में से, 1153 संरक्षित स्मारकों में भा.पु.स. द्वारा सांस्कृतिक सूचना पट्ट स्थापित नहीं किए गये थे। (विवरण **अनुबंध 10.1** में दिया गया है**)**

हमने दिल्ली परिमण्डल में सफदरजंग मकबरे के सांस्कृतिक सूचना पट्ट में वर्तनी तथा अन्य तथ्यात्मक गलतियों को पाया। जून 2012 में, हमारे द्वारा बताए जाने पर परिमण्डल ने इसे बदलने के लिए हटा दिया। सूचना पट्ट नवम्बर 2012 तक पुनः स्थापित नहीं किया गया था।

इसी प्रकार की विसंगति दिल्ली परिमण्डल में लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद में देखी गई जहाँ हिन्दी और अंग्रेजी के सूचना पट्ट ने मस्जिद के निर्माता के बारे में परस्पर विरोधी जानकारी दी।

संकेतक जो दिखा रहा है कि मस्जिद नवाब कुदसिया बेगम ने बनवाई जो कि अहमद शाह की माँ थी।

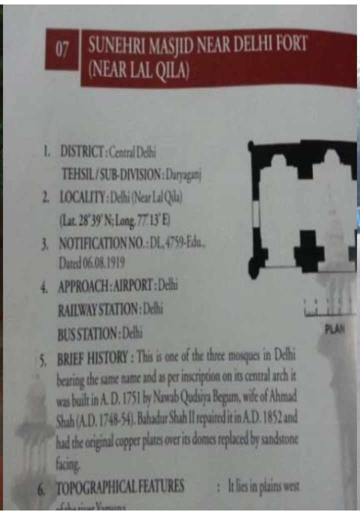

सूची जो दिखा रही है कि मस्जिद नवाब कुदसिया बेगम ने बनवाई जो कि अहमद शाह की बीबी थी।

विसंगति की ओर इशारा करने के पश्चात हिन्दी सूचना पट्ट को हटा लिया गया।

अनुशंसा 10.2: *यह अनुशंसा की जाती है कि संकेतक अधिष्ठापन की अच्छी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए। हमारी राय में, सांस्कृतिक सूचना पट्ट स्थानीय भाषाओं में भी होने चाहिए। विश्व विरासत स्थलों सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर सूचना पट्ट विश्व की प्रमुख भाषाओं में होने चाहिए। इसी प्रकार, बौद्ध स्थलों के लिए सूचना पट्ट स्थलों पर आने वाले दर्शकों के अनुसार प्रासंगिक भाषाओं में प्रदर्शित किए जाने चाहिए।*

10.3.2 स्मारकों पर स्थल व्याख्याकार (गाइड) की सुविधा

समारकों पर सूचना पट्ट में स्मारक का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया है। तथापि, स्थलों की मुख्य विशेषताओं तथा महत्व को समझने के लिए गाइड की सेवाएँ आवश्यक थीं। जटिल स्थलों, जो कि फैले हुए थे, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, हम्पी, अजंता ऐलोरा की गुफाएँ, के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ पर्याप्त गाइड की सुविधा हो। हमने देखा कि इन स्थलों पर गाइड सुविधाएँ प्रदान करने या निगरानी में भा.पु.स. की कोई भूमिका नहीं थी। केन्द्र और राज्य सरकारें व्यक्तियों के इतिहास और स्मारकों के ज्ञान के विश्लेषण के पश्चात गाइड का लाइसेंस प्रदान कर रही थी। प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. नियम 1959 के तहत भा.पु.स. द्वारा गाइडों को लाइसेंस प्रदान करने का प्रावधान था, तथापि भा.पु.स. द्वारा ऐसे कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए थे। इस निष्क्रियता के लिए कोई लिखित कारण उपलब्ध नहीं थे।

भा.पु.स. ने (2006) में विश्व विरासत स्थलों में अलग-अलग भाषाओं जैसे हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रैंच, स्पैनिश, जर्मन आदि में ऑडियो गाइड की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया था। हालाँकि, पिछले छह वर्षो के दौरान भा.पु.स. ने, सीमित भाषाओं में, केवल पाँच विश्व विरासत स्थलों-आगरा का किला, खजुराहो, साँची, कुतुब मीनार और लाल किला में ही ऑडियो गाइड की सुविधा प्रदान की।

अनुशंसा 10.3: *भा.पु.स. को पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से, स्थानीय समुदाय के लोगों को गाइड के रूप में प्रशिक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। परिमण्डल कार्यालयों को स्थलों के वर्णन का एक प्रामाणिक संस्करण प्रदान करना चाहिए जिसका विभिन्न भाषाओं में अनुकूलित तथा अनुवाद किया जा सके।*

अनुशंसा 10.4 *भा.पु.स. को आगंतुकों की विशेष सुविधा हेतु स्मारक/स्मारकों के समूह के दौरे के लिए विशेष निर्देशित दौरे को डिजाइन करने की व्यवहार्यता का आंकलन करना चाहिए।*

10.3.3 स्थलों पर प्रकाशनों की उपलब्धता

आधिकारिक नक्शे, गाइड पुस्तकें एवं अन्य प्रकाशन, स्मारकों के बारे में समझ बढ़ाने और उनकी व्याख्या में एक उपयोगी संसाधन का काम करते हैं। आगंतुकों की सुविधा के लिए स्थलों के पास उपलब्ध होने चाहिए। भा.पु.स. का प्रकाशन प्रभाग अनेक स्मारकों पर कई तरह की विवरणिकाएँ, पर्चे तथा गाइड पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है जो कि परिमण्डल कार्यालयों को स्मारकों के प्रकाशन काउंटर पर बिक्री हेतु वितरित की जाती है। भा.पु.स. ने प्रकाशन काउंटरों पर बिक्री से वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 2.24 करोड़ अर्जित किए।

हमने पाया कि बंगलौर परिमण्डल में 12 टिकट स्मारकों में किसी में भी प्रकाशन काउंटर नहीं था। यहाँ तक कि दिल्ली परिमण्डल में भी पाँच टिकट स्मारकों में कोई प्रकाशन काउंटर नहीं था।

भा.पु.स. मुख्यालय के पास प्रकाशन काउंटरों की कुल संख्या के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं थी। तथापि, आठ परिमण्डलों के बारे में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, केवल 37 प्रकाशन काउंटर थे। प्रत्येक स्थल में प्रकाशन काउंटर की अनुपस्थिति से न केवल राजस्व की हानि होती है अपितु, मुख्यतः आगंतुक, स्मारकों के बारे में उपयोगी संदर्भ से भी वंचित रह जाते हैं।

10.3.3.1 प्रकाशन सामग्री का अपर्याप्त वितरण

भा.पु.स. मुख्यालय के पास, प्रकाशन सामग्री का परिमण्डल कार्यालयों तक समुचित वितरण हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। अभिलेखों का प्रबंधन भी घटिया था।

हमने पाया कि, कुछ प्रकाशन बिना किसी औचित्य के, असंबंधित परिमण्डल को भेजे जा रहे थे, उदाहरणतः आगरा परिमण्डल में तथा उसके आसपास की विश्व विरासत स्थलों पर साहित्य सामग्री उपलब्ध कराने के बजाय, भा.पु.स. मुख्यालय ने महाबलीपुरम पर सामग्री की आपूर्ति कर दी। परिणामस्वरूप, सामग्री का उपयोग नही किया जा सका तथा यह भंडार कक्ष में पड़ी रही। इसी तरह भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा कुछ प्रकाशन कोलकता परिमण्डल में माँग के बिना ही भेज दिए गए। गुवाहाटी परिमण्डल के लिए जारी की गई अतिरिक्त पुस्तकें भी अनुपयोगित तथा क्षतिग्रस्त पाई गई।

भा.पु.स. मुख्यालय ने सामग्री के वितरण के लिए परिमण्डल कार्यालयों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सुनिश्चित नहीं किया। परिणामस्वरूप, भा.पु.स. प्रकाशन की बिक्री कम हुई तथा, आवश्यकता के आंकलन के अभाव में, कई प्रकाशन काउंटरों पर पुस्तकें अप्रयुक्त पड़ी रही। विवरण **अनुबंध 10.2** में दिया गया है।

भा.पु.स. ने वितरण की तदर्थ प्रथाओं के लिए कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया। हमने इस कारण को अविश्वसनीय पाया क्योंकि प्रकाशनों के वितरण के लिए कोई प्रक्रिया तथा निर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे।

10.3.3.2 स्थलों पर मानचित्र की उपलब्धता

भा.पु.स. के स्थल कई एकड़ में फैले हुए थे। इनमें स्मारकों, किलों और गुफाओं के समूह शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर स्थलों में कुछ विश्व विरासत स्थल भी शामिल हैं, भा.पु.स. ने आगंतुकों को कोई स्थल नक्शे प्रदान नहीं किए।

10.4 स्थानीय समुदाय की भागीदारी

मेजबान समुदाय के लोगों के बीच विरासत की व्याख्या और शिक्षा कार्यक्रमों को स्थानीय स्थल व्याख्याकारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्यक्रम द्वारा उनमें अपनी विरासत के प्रति ज्ञान और आदर को बढ़ाने तथा स्थानीय लोगों को इनकी देखभाल तथा संरक्षण में रूचि के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यटन और संरक्षण गतिविधियों द्वारा मेजबान समुदाय[64] को लाभ होना चाहिए।

हमने पाया कि मंत्रालय और भा.पु.स. ने जन जागरूकता और समर्थन बनाने के लिए किसी भी विशेष कार्यक्रम को ईजाद करने के लिए नगण्य प्रयास किए। हमने पाया कि इन स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण में स्थानीय समुदाय को शामिल करने में भा.पु.स. की विफलता की वजह से कई जगहों पर स्थानीय समुदाय ने इन स्थलों को बनाए रखने के लिए भा.पु.स. के प्रयासों का विरोध किया। स्थानीय समुदाय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ बातचीत का कोई औपचारिक मंच नहीं था।

10.5 स्मारकों पर आगंतुकों के लिए सुविधा

अं.स्मा.स्थ.प. चार्टर के अनुसार विरासत स्थलों का संरक्षण तथा पर्यटन नियोजन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगंतुक का अनुभव सार्थक, संतोषजनक तथा मुखर हो।

स्मारकों को आगंतुक अनुकूल बनाने हेतु भा.पु.स. से बुनियादी सुविधाएं यथा पेयजल, शौचालय, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रैम्प (ढलान), ब्रेल भाषा में नोटिस बोर्ड आदि उपलब्ध कराने की आशा थी। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 ने सार्वजनिक भवनों में रैम्प तथा पहिया कुर्सी उपयोगकर्ताओं के लिए शौचालयों के अनुरूपण की व्यवस्था प्रदान की है।

10.5.1 सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति

संयुक्त प्रत्यक्ष परीक्षण तथा 2461 स्मारकों के परिमण्डल में उपलब्ध जानकारी से यह पता चला कि भा.पु.स. अपने संरक्षित स्मारकों में बुनियादी सार्वजनिक सुविधाएँ प्रदान करने में विफल रहा है जैसा कि निम्न तालिका से देखा जा सकता हैः

[64] अं.स्मा.स्थ.प. का अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटन चार्टर।

तालिका 10.2 स्मारकों में सार्वजनिक सुविधाएँ

सुविधाएँ	स्मारकों की संख्या जिनमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी।	अनुपलब्धता का प्रतिशत
पेयजल	1781	72
शौचालय	2030	82
पहिया कुर्सी	2247	91
रैंप	2293	93
ब्रेल साइन बोर्ड	2448	96
शिकायत पंजिका	2268	92

इन बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण इन स्थलों पर आगुंतकों का आना प्रभावित हुआ तथा आगंतुकों के अनुभवों की गुणवत्ता भी कम कर दी। इसके अलावा, भिन्न रूप से सक्षम आगंतुकों के लिए सुविधाओं का अभाव विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 का उल्लंघन करता है। इन स्मारकों पर रैंप और पहिया कुर्सी की कमी इस तरह के आगंतुकों के लिए इन स्थलों तक पहुँच को प्रतिबंधित करेगी। निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि बहुत कम स्थल इस तरह के विशेष वर्ग आगंतुकों के लिए "बाधा मुक्त" थे।

10.5.2 सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भा.पु.स. के प्रयास

भा.पु.स. ने (जनवरी 2009 में) एक गैर लाभकारी संगठन 'स्वयम्' के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया और आरंभ में उन्हें तीन साल के लिए अपना उपयोग सलाहकार नियुक्त किया। गैर सरकारी संगठन (गै.स.सं.) को सभी स्मारकों/स्थलों को, अंतराष्ट्रीय मानकों और दिशा-निर्देशों और विशिष्ट स्वदेशी कारकों के अनुसार, कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने के लिए भा.पु.स. को (निःशुल्क) परामर्श प्रदान करना था।

प्रथम चरण में, गै.स.सं. को नई दिल्ली, आगरा (उ.प्र.) तथा गोवा के विरासत स्थलों में पहुँच लेखापरीक्षा करनी थी तथा पहुँच में बाधा की पहचान और उचित सुझाव तथा रणनीतियों की सिफारिश करनी थी। इसके बाद, भा.पु.स. को गै.स.सं. की सिफारिशों पर अमल करने के लिए प्रत्येक स्थल के लिए एक संयुक्त कार्य योजना बनानी थी। गै.स.सं. ने पाँच स्मारकों[65] की अपनी पहुँच लेखापरीक्षा, विभिन्न सुझावों के साथ, भा.पु.स. को जुलाई/अगस्त 2010 में प्रस्तुत की।

[65] एत्माद-उद्-दौला, आगरा; मरियम का मकबरा, आगरा; आगरा किला; डीग महल, राजस्थान तथा पुराना किला, दिल्ली

हमने पाया कि दिसम्बर 2012 तक भा.पु.स. ने गै.स.सं. की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की थी।

10.5.3 स्मारकों तक उपागमन-सड़क का अभाव

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला कि कई संरक्षित स्मारक थे जिन तक पहुँचना, उपागमन-सड़क के अभाव में, असान नहीं था। इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए भा.पु.स. ने, संबंधित नगर निगम के अधिकारियों के साथ समन्वय से, कोई सुधारात्मक कदम की शुरूआत नहीं की।

वास्तव में, कुछ स्मारकों में, भा.पु.स. के अधिकारियों द्वारा स्मारकों के नियमित प्रत्यक्ष निरीक्षण के अभाव की वजह से, परिमण्डल/उप-परिमण्डल स्तर पर जानकारी अनुपलब्ध थी। उपागमन-सड़क के अभाव के कुछ उदाहरण नीचे वर्णित हैः

तालिका 10.3 स्मारकों तक पहुँच मार्ग का अभाव

क्र.सं.	परिमण्डल	स्मारक का नाम
1.	आगरा	कछवा का टीला, ममीरपुर
2.		बनिया की बारात, ललितपुर
3.		टेम्पल फ्लैट समतल छत वाला मंदिर, उर्वरा, महोबा,
4.		घुगुवा का मठ, बरूआ सागर, झांसी
5.		कोस मीनार, मथुरा
6.		बुद्धिष्ट विहार, परवनाबिहार, फर्रूखाबाद
7.		प्राचीन स्थल, कटारी खेरा, फर्रूखाबाद
8.		सेहगढ़ खेरा का टीला, अलीगढ़
9.	दिल्ली	नाई का कोट
10.	श्रीनगर	अखंड मंदिर, खरू
11.		स्तूप टिसेरू (लेह)
12.	राँची	जामी मस्जिद, हदफ
13.		बेनीसागर टैंक
14.	पटना	कहलगाँव का शिला मंदिर
15.		सासाराम का रोहतास गढ़ किला
16.		बिजयगढ़ का पक्की चिनाई किला, सोनभद्र
17.	कोलकाता	मालदा का बारकोना डियूल स्थल
18.		रेजीडेंसी सेमेटरी, बाबुल बोना
19.	गुवाहाटी	श्री बी.जे. स्टोव की कब्र
20.		लेफिटनेंट क्रेसवेल का मकबरा

1984 में मिर्धा समिति ने कहा था कि यह एक दुखद तथ्य है कि कई महत्वपूर्ण स्मारक, बारहमासी सड़कों के अभाव में, बरसात के मौसम में दुर्गम हो जाते हैं। भा.पु.स. को राज्य सरकार को स्मारकों तक पक्की सड़क बनाने हेतु यथासंभव प्रयास करने चाहिए ताकि भा.पु.स. पूर्ण वर्ष उनका नियमित निरीक्षण कर सके।

फिर भी, इस सुझाव को दिए 28 वर्ष होने के पश्चात भी यथास्थिति बनी हुई है। मंत्रालय की ओर से उपागमन-सड़क की जरूरत का आंकलन करने और उचित स्तर पर राज्य सरकारों के साथ आवश्यक कदम उठाने की कोई पहल नहीं की गई थी।

10.5.4 ऑनलाइन तथा अग्रिम टिकटों की सुविधा

दुनियां भर में, अक्सर घूमने वाले स्थलों के लिए टिकटों की अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा अपनाई जाती है। कई देशों ने दर्शकों की सुविधा के लिए, एक ही शहर/एक ही क्षेत्र में स्थित स्थलों के समूह के लिए कम कीमत पर संयुक्त टिकट पेश करते हैं।

भा.पु.स. ने पिछले पाँच वर्षो के दौरान टिकटों की बिक्री से ₹ 400 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। 2007-08 से 2011-12 के दौरान करीब ₹ 1.65 करोड़ विदेशी पर्यटकों ने स्मारकों का दौरा किया। तथापि, भा.पु.स. ने और अधिक पर्यटकों को स्थलों में आने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू करने की संभावना का पता नहीं लगाया। इससे सरकारी खाते में राजस्व के समय पर प्रेषण में मदद मिलेगी। यहाँ तक की टिकट काउंटरों पर, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से, टिकट खरीदने की कोई सुविधा नहीं थी।

अनुशंसा 10.5: मंत्रालय और भा.पु.स. को जल्द से जल्द, आवश्यक सुरक्षा नियंत्रण के साथ, देश भर के सभी टिकट स्थलों के लिए ऑनलाइन टिकट सुविधा शुरू करनी चाहिए।

10.6 संग्रहालयों में व्याख्या की सुविधा

हमने देखा कि संग्रहालयों में व्याख्या की सुविधा भी अपर्याप्त थी जैसा कि नीचे दिया गया है:

10.6.1 केऑस्क की गैर-स्थापना

भारतीय संग्रहालय ने (मार्च 2010) विज्ञान संग्रहालय की राष्ट्रीय परिषद (एन.सी.एस.एम.) के साथ ₹ 1.80 करोड़ रूपये की लागत से, 18 केऑस्क सहित, प्रदर्शन उपकरण की आपूर्ति के लिए समझौता किया। इस राशि में मल्टीमीडिया केऑस्क विकसित करने हेतु रा.वि.संग्र.प. का ₹ 30.32 लाख का परामर्श शुल्क शामिल था। नियम और शर्तो के अनुसार संग्रहालय ने ₹ 1.81 करोड़ की पूरी अनुबंध राशि अग्रिम में साइंस सिटी रा.वि.संग्र.प. को 31 मार्च 2010 में

भुगतान कर दी। परियोजना के पूरा होने की तिथि दिसंबर 2010 थी जिसमें सामग्री और तस्वीरों जो कि संग्रहालय द्वारा केऑस्कों में प्रदर्शित करनी थी, को समय पर प्रस्तुत करना शामिल था।

हमने देखा कि ₹ 22.18 लाख लागत के उपकरण (खरीदे हुए साफ्टवेयर को छोड़कर) साइंस सिटी, रा.वि.संग्र.प. तथा बिरला इंस्टीटयूट प्रौद्योगिकी मिशन की अभिरक्षा में था। कुछ उपकरणों की वारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थी। रा.वि.संग्र.प. ने बताया कि कई अनुस्मारक तथा भारतीय संग्रहालय के अधिकारियों के साथ कई बैठकों के बावजूद, उन्होंने कोई भी आंकड़े तथा तस्वीरें, जो कि केऑस्कों को विकसित करने के लिए जरूरी थी, प्रदान नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, निदेशक, सांइस सिटी ने बताया कि भारतीय संग्रहालय से आंकड़े के अभाव में उनके लिए परियोजना को पूरा करना संभव नहीं होगा क्योंकि रा.वि.संग्र.प. के द्वारा काम पर लगाए गए विक्रेताओं को पहले ही समापन पत्र दिया जा चुका है।

भारतीय संग्रहालय में पड़े उपकरण

इस प्रकार, आंकड़े और तस्वीरें उपलब्ध कराने में भारतीय संग्रहालय की ओर से विफलता, केऑस्कों के न स्थापित होने में फलित हुई जिससे जनता की जागरूकता में वृद्धि न हो सकी।

संरक्षित स्मारक

यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 (1958 के 24) के अर्न्तगत राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुँचाता, नष्ट करता, विलग अथवा परिवर्तित करता, कुरूप करता, खतरे में डालता या दुरूपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिये 3 माह तक का कारावास या रूपये 5000 (पाँच हजार) तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल व अवशेष नियम 1959 के उप-नियम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अर्न्तगत संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और इसके आगे 200 मीटर तक के समीप एवं निकटस्थ का क्षेत्र खनन व निर्माण कार्य के लिये क्रमशः वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवनों की मरम्मत, परिवर्तन तथा निर्माण/नव-निर्माण हेतु भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण

PROTECTED MONUMENT

THIS MONUMENT HAS BEEN DECLARED TO BE OF NATIONAL IMPORTANCE UNDER THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1958 (24 OF 1958). WHOEVER DESTROYS, REMOVES, INJURES, ALTERS, DEFACES, IMPERILS OR MISUSES THIS MONUMENT, SHALL BE PUNISHABLE WITH IMPRISONMENT, WHICH MAY EXTEND TO THREE MONTHS OR WITH FINE WHICH MAY EXTEND TO FIVE THOUSAND RUPEES OR WITH BOTH.

FURTHER, UNDER SUB-RULE 32 OF THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS RULES 1959 AND NOTIFICATION ISSUED IN 1992, AREAS UPTO 100 METERS FROM THE PROTECTED LIMITS AND FURTHER BEYOND IT UPTO 200 METERS NEAR OR ADJOINING PROTECTED MONUMENT HAVE BEEN DECLARED TO BE PROHIBITED AND REGULATED AREAS, RESPECTIVELY FOR PURPOSES OF BOTH MINING OPERATION AND CONSTRUCTION. ANY REPAIR, ADDITION OR ALTERATION AND CONSTRUCTION/RECONSTRUCTION WITHIN THESE AREAS NEED PRIOR APPROVAL OF THE ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA.

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA